न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 4/2022

मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय–मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानरेली रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि–682018 तथा शाखा कार्यालय–यूनिट नंबर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाडिया टावर, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी श्री दीपक भुटानी।

...प्रार्थी

बनाम

1. राय सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप, पता–सिंगपुरा, बिशनपुरा, दौसा–303507

एवं

पता–मैसर्स खण्डेलवाल स्वीटस एण्ड ज्यूस सैंटर, सैंथल मोड, दौसा राजस्थान–303303

एवं

पता–पटटा नंबर 8, ग्राम पंचायत बिशनपुरा पंचायत समिति, दौसा जिला दौसा राजस्थान

.....ऋणी

1. श्रीमती मीना पत्नि राय सिंह, पता– पता–सिंगपुरा, बिशनपुरा, दौसा–303507

एवं

पता–पटटा नंबर 8, ग्राम पंचायत बिशनपुरा पंचायत समिति, दौसा जिला दौसा राजस्थान

.....सह ऋणी

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थिति : श्री गौरीशंकर सिंगवाडिया, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u>

दिनांक: 05.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 5,11,380/–(रूपये पांच लाख [illegible] हजार तीन सौ अस्सी मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। [illegible] समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति [illegible] हाइपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने [illegible] समय पर ऋण राशि [illegible] ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को [illegible] नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:08 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति जो कि आवासीय प्लाट/पटटा संख्या 8, ग्राम पंचायत बिशनपुरा, पंचायत समिति, दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 149.33 वर्गगज है जो कि श्रीमती मीना देवी पत्नि श्री रायसिंह के स्वामित्व की भूमि है, जिसके पूर्व मे अन्य की भूमि, पश्चिम मे आम रास्ता, उत्तर मे स्वयं की आबादी भूमि, दक्षिण में स्वयं की भूमि है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:08 IST
Reason: SelfAttested